परिशिष्ट 7

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1994[1]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
2. सिंचाई परिव्यय की दर
3. विखण्डन और अपवाद

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह ऐसे समस्त परिव्ययों (जिसके अन्तर्गत रबी 1402 फसली वर्ष के लिए भी परिव्यय है) के सम्बन्ध में, जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् वसूल किये जा सकेंगे, लागू होगी।

2. सिंचाई परिव्यय की दर—राजकीय नलकूपों से सम्भारित जल के लिए सिंचाई परिव्यय—

(क) खरीफ़ की अवधि में प्रत्येक 45,460 लीटर (10,000 गैलन) जल के लिए; और

(ख) रबी की अवधि में प्रत्येक 22,730 लीटर (5,000 गैलन) जल के लिए,

2.40 रुपये होगी।

3. विखण्डन और अपवाद—उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1983 को तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत, उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या की गई कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है।

———

1. यह नियमावली अधिसूचना संख्या 4416/94-27-I-4-2-रेट-94, दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 द्वारा पारित की गई तथा उ० प्र० असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित हुई